सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज करने के तरीके में बदलाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फर्जी शिकायतों को रोकने के लिये [उत्तराखंड](https://www.drishtiias.com/hindi/state-pcs-current-affairs/uttarakhand) सरकार ने शिकायत दर्ज कराते समय हलफनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- **गलत विवरण से जुड़ी समस्या:** गलत पते और फोन नंबर वाली शिकायतें पाई गई हैं, जिसके कारण नई आवश्यकता लागू की गई है।
- **शपथ-पत्र की आवश्यकता:** फर्जी प्रस्तुतियों को रोकने के लिये अब शिकायतों के साथ एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- **उद्देश्य:** हलफनामे की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सटीक और वैध शिकायतें दर्ज की जाएँ तथा उनका उचित तरीके से निपटारा किया जाए।
- **कारण:** यह कदम झूठी शिकायतों की समस्या का समाधान करता है, जिससे संसाधनों और समय का अपव्यय होता है तथा यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि केवल वास्तविक शिकायतों पर ही कार्यवाही की जाए।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/changes-to-file-complaints-in-government-departments